पत्र संख्या-स्था0-2-वा0क0अ0-ज्येष्ठता-2015/ 3431 / वाणिज्य कर

कार्यालय - कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना - अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 23 नवम्बर, 2015,

::::कार्यालय ज्ञाप ::::

वाणिज्य कर विभाग में कार्यालय ज्ञाप संख्या-स्था0-2-वा0क0अ0-ज्येष्ठता-2013/ 5118/ वाणिज्य कर दिनांक 11-02-2014 द्वारा दिनांक 30-06-2011 तक वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्त / पदोन्नत कार्मिकों की ज्येष्ठता क्रमांक-2782 तक अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी थी। तत्पश्चात् सीधी भर्ती के वर्ष 2009 बैच व वर्ष 2010 बैच एवं तृतीय श्रेणी से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर दिनांक 19-02-2013 को पदोन्नत कार्मिकों द्वारा भर्ती वर्ष 2012-13 में कार्यभार ग्रहण किया गया है, जिनकी ज्येष्ठता सूची जारी किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही सिविल अपील संख्या-2608/2011 यू0पी0 पावर कारपोरेशन बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / आदेश दिनांक 27-04-2012 के क्रम में शासनादेश संख्या-8/4/1/2002 टी0सी0-1/का-2/2015 दिनांक 21-08-2015 के अनुपालन में कतिपय कार्मिकों (जिनका नाम उक्त ज्येष्ठता सूचियों में अंकित था) के तृतीय श्रेणी के पद पर पदावनत की कार्यवाही के फलस्वरुप उनका नाम वाणिज्य कर अधिकारी की ज्येष्ठता सूची से निरस्त करते हुए तथा परिणामिक ज्येष्ठता / आरक्षण का लाभ प्राप्त कार्मिकों को उनके ज्येष्ठ आसन्न कार्मिकों के नीचे प्रतिस्थापित करते हुए उनकी पूर्व में निर्धारित ज्येष्ठता में तद्नुसार संशोधन करते हुए संशोधित ज्येष्ठता सूची जारी किया जाना भी अपेक्षित है।

2- उक्त तथ्यों के आधार पर इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-स्था0-2-वा0क0अ0 -ज्येष्ठता-2015/3146 दिनांक 05-11-2015 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी की पूर्व में जारी ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित करते हुए ज्येष्ठता क्रमांक-2583 से ज्येष्ठता क्रमांक- 3206 तक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करते हुए विभाग की वेबसाइट www.comtax.up.nic.in पर प्रकाशित की गयी एवं समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, को निर्देश दिया गया कि नोटिस बोर्ड पर उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची की एक प्रति चस्पा कराते हुए वाणिज्य कर अधिकारियों से ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियम-9(1) (2) के अन्तर्गत दिनांक 16-11-2015 तक आपत्तियॉ आमन्त्रित की जायें। दिनांक 20-11-2015 तक इस कार्यालय में उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित वाणिज्य कर अधिकारियों / अन्य किसी अधिकारी से सीधे या जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से कोई आपत्ति या उसकी सूचना मुख्यालय पर प्राप्त नही हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-स्था0-2- वा0क0अ0 -ज्येष्ठता-2015/3146 दिनांक 05-11-2015 द्वारा जारी वाणिज्य कर अधिकारी की ज्येष्ठता सूची के द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता से किसी अधिकारी को कोई आपत्ति नही है और त्रुटि रहित होने के कारण तथा आपत्तियों के अभाव में यह सूची अन्तिम किये जाने योग्य है।

3- अत: शासनादेश संख्या-8/4/1/2002 टी0सी-1-का-2/ 2015 दिनांक 21-08-2015 के अनुपालन में पदावनत किये गये अथवा परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत किये गये कार्मिकों की इस कार्यालय के परिपत्र सं0- 869 दि0 12.06.2012 द्वारा जारी वाणिज्य कर अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची (जो ज्येष्ठता क्रमॉक 1 से 2733 तक थी) एवं तद्क्रम में जारी संशोधित ज्येष्ठता सूची से संबंधित इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-1680 दिनांक 21-06-2013 (जो ज्येष्ठता क्रमांक- 2169 से ज्येष्ठता क्रमांक-2733 तक थी) तथा पत्रांक-5118 दिनांक 11-02-2014 (जो ज्येष्ठता क्रमांक-2734 से ज्येष्ठता क्रमांक-2782 तक थी) द्वारा पूर्व में निर्धारित ज्येष्ठता को निरस्त करके उनकी ज्येष्ठता में संशोधन करते हुए इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3146 दिनांक 05-11-2015 (जो क्रमांक-2583 से 3206 तक अनन्तिम रुप से प्रसारित की गयी थी, के क्रम में कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण ज्येष्ठता क्रमांक-2583 से ज्येष्ठता क्रमांक-3206 तक वाणिज्य कर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची अन्तिम करते हुए प्रकाशित की जा रही है। यह अन्तिम ज्येष्ठता सूची संलग्न सूची में उल्लिखित वाणिज्य कर अधिकारियों के ज्येष्ठता निर्धारण / पदोन्नत आदि की कार्यवाही के लिए विधिमान्य होगी।

2/---

4- इस कार्यालय के पत्रांक-869 दिनांक 12-06-2012 एवं पत्रांक-1680 दिनांक 21-06-2013 तथा पत्रांक-5118 दिनांक 11-02-2014 के ज्येष्ठता क्रमांक - 2583 से ज्येष्ठता क्रमांक-2782 तक की वाणिज्य कर अधिकारियों की जारी ज्येष्ठता सूची को संलग्न ज्येष्ठता सूची के आधार पर इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अनु सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा कराने का कष्ट करें, तथा अपने जोन के अधीन तैनात संबंधित वाणिज्य कर अधिकारियों को तुरन्त उक्त सूची अवलोकित भी कराने का कष्ट करें।

4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(उच्चन्यायालय कार्य/सर्वोच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, लखनऊ/ इलाहाबाद/ गाजियाबाद।

5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

6- समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

7- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची की एक प्रति विभाग क बेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- संबंधित अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि अपने अनुभाग में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी को विभागीय बेबसाईट के माध्यम से उक्त ज्येष्ठता सूची का अवलोकन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

9- संलग्न सूची में उल्लिखित समस्त वाणिज्य अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार विभागीय बेबसाईट के माध्यम से एक -एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

23.4.2014

(सुनील कुमार राय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।